संख्या-16/2022/717/86-2022-183/2011

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग **लखनऊः दिनांक 09 जून**, 2022

विषय-उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, **परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली** 2018 **यथा संशोधित के अन्तर्गत स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, **भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय**, **उत्तर प्रदेश**, **लखनऊ के पत्र संख्या-**404/**एम-**1**ए** 233(**भण्डारण)/**18**टी**0**सी**0, **दिनांक** 07.06.2022 **का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मानसून सत्र में उपखनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खनिज(अवैध खनन**, **परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-**2018 (**यथा संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जा रहे हैं। उपखनिजों की मानसून अवधि में नियमित निकासी हेतु भण्डारण स्थलों को उपखनिजों उपखनिजों के विक्रय स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता है**, **जिससे विकास कार्यो एवं जनसामान्य हेतु निर्बाध रूप से उचित मूल्य पर उपखनिज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस सम्बन्ध में लम्बित भण्डारण लाईसेंस आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के साथ ही नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार निम्नलिखित कार्यवाही प्राथमिकतापूर्वक तत्काल करायी जानी अपेक्षित है:-**

(1) **भण्डारण स्थल पर भण्डारणकर्ता का नाम**, **मोबाईल नं**0, **भण्डारित स्थल का विवरण**, **उपखनिज का विक्रय मूल्य प्रदर्षित करते हुए साइन बोर्ड लगाया जाये।**

(2) **भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल पर सी**0**सी**0**टी**0**वी कैमरा लगाये जाये तथा अनुश्रवण इसे सम्बन्धित अधिकारियों के स्मार्ट फोन से लिंक कराया जाये।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) भण्डारण अनुज्ञप्ति के स्थान की जियो-टैगिंग किया जाये जिससे कि अवैध भण्डारण को सुगमता से चिन्हित किया जा सके।

(4) भण्डारण स्थल से उपखनिजों का परिवहन ई-प्रपत्र सी के माध्यम से सुनिश्चित करते हुए विभागीय पोर्टल **upmines.upsdc.gov.in** पर इस निमित्त सूचना का साप्ताहिक अनुश्रवण कर यह देख ले कि भण्डारण अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा नियमित से उपखनिज की निकासी की जा रही है अथवा नहीं।

(5) जनपदों में स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञप्ति को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित किये जाने हेतु विभागीय पोर्टल **minemitra.up.gov.in** के होम पेज पर खनिज विक्रय स्थल **(Mineral Sale Point)** का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर जाकर कोई भी व्यक्ति जनपद में स्वीकृत भण्डारण लाईसेंस स्थल का विवरण, लाईसेंस अन्तर्गत उपखनिज की स्वीकृत मात्रा व अवशेष मात्रा का विवरण देख सकता है। पोर्टल पर आनलाईन स्वीकृत किये गये समस्त भण्डारण लाईसेंस इस लिंक पर स्वतः अपडेट हो जायेगा तथा इसके अतिरिक्त भी यदि कोई भण्डारण लाईसेंस जनपद में स्वीकृत हो उसका विवरण भी जनपदीय खान अधिकारी को पोर्टल पर फीड करने की व्यवस्था उपलब्ध है। उक्त के अतिरिक्त लिंक पर उपलब्ध विक्रय स्थल के विवरण में जियो टैग (लैटीट्यूड एवं लांगिट्यूड) का विवरण भी जनपदीय अधिकारी अपडेट कर सकेंगे। भण्डारण लाईसेंस धारक को भण्डारण लाईसेंस अन्तर्गत उपखनिज का विक्रय मूल्य अपडेट करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।

(6) भण्डारण अनुज्ञप्ति अन्तर्गत उपखनिजों के भण्डारण स्थल को बिक्री स्थल **Point)** के रूप में विकसित किये जाने हेतु भण्डारण अनुज्ञप्तिधारकों को मिनरल-मार्ट पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल को विक्रेता की तरह सक्रिय करने के लिए **www.upmineralmart.com** पर जाना होगा। आनलाइन भण्डारण लाईसेंस स्वीकृत किये जाने पर इसका विवरण मिनरल-मार्ट पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित/पंजीकृत हो हो जाता है। तत्पश्चात भण्डारण अनुज्ञप्तिधारक को लाईसेंस नम्बर को यूजर एवं मोबाइल नम्बर को पासवर्ड की तरह उपयोग करके मिनरल मार्ट पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। लॉग-इन करने के पश्चात दिये गये विकल्पों पर जाकर बैक विवरण एवं मिनरल दर अपडेट करके अपनी प्रोफाइल को सक्रिय करना होगा। भण्डारण अनुज्ञप्तिधारक अपने एण्ड्रॉयड मोबाइल पर 'माइन-मित्रा एप' को डाउनलोड करके भी अपनी प्रोफाइल को सक्रिय कर सकेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भण्डारण स्थलों को खनिज विक्रय स्थल (**Mineral Sale Point**) के रूप में विकसित करने हेतु उपरोक्तानुसार भण्डारण स्थल पर साइन बोर्ड लगाने, सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित कराने, भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल की जियो-टैगिंग कराने, ई-प्रपत्र सी के माध्यम से परिवहन की गयी मात्रा का नियमित अनुश्रवण करने तथा भण्डारण अनुज्ञप्तिधारकों पूर्ण विवरण पोर्टल पर सक्रिय कराये जाने के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्या एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक को इस निर्देश के साथ उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

http//shasanadesh.up.gov.in